संख्याः 69 लो0नि0–1–2003–245 (सा0)/2002 टी.सी.

प्रेषक,

एन. रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2004

विषयः अर्द्ध कुम्भ मेला–2004 हेतु जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर–इमलीखेड़ा–हकीमपुर तुर्रा–पिरान कलियर मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण एवं नव निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला–2004 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के निम्नलिखित कार्य की रु0 579.74 लाख के लागत के आगणन के [redacted] टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत रु0 564.22 लाख (रुपये पाँच करोड़ चौसठ लाख बाइस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 6.00 लाख (रुपये छः लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन की लागत रु0 लाख में	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत रु0 लाख में	स्वीकृत की जा रही धनराशि रु0 लाख में
1	भगवानपुर–इमलीखेड़ा–हकीमपुर तुर्रा–पिरान कलियर मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण एवं नव निर्माण कार्य लम्बाई 13.500 कि0मी0	579.74	564.22	6.00

2– कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कराने के उपरान्त आवश्कतानुसार विस्तृत मानचित्र एवं आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें।

3– कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

4– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

5– जो धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का व्यय दूसरे मद में कदापि न किया जाय। ऐसा करने पर पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंता का होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व एक मुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन बनाकर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

7– निर्माण कार्य पर प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री को प्रयोग करने से पूर्व निर्माण सामग्री का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।

8- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, टैण्डर, कोटेशन विषय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि से 80 प्रतिशत उपयोग करने के बाद एवं उसकी वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

उपरोक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुदान संख्या 22 के लेखा शीर्षक -5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800 -अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य -24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ0शा0 संख्या 2439/वित्त अनुभाग -3/2003 दिनांक 20 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन. रवि शंकर)
सचिव।

संख्या: 69 (1)लो0नि0-1-2003-245 (सा0)/2002 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियंता (ग.क्षे.), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु।
6. अधीक्षण अभियंता, 24वां वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक।

(टी.के. पंत)
उप सचिव।